


राजस्थान सरकार
रिकार्ड विभाग
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक : एफ 4 (143) आकाशी/नि.स./1973/ १५६
आदेश

दिनांक: १४/८/२०१८

जायपुर सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर शकाचार्य सत्र 2017-18 से विनालिखित महाविद्यालय को स्नातक/स्नातकोत्तर रत्न पर नवीन विषय/शास्त्र में रथाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

नहीं दिए गए का नन द पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नदीन संकाय/विषय
ओकारमल सामग्री वाणिज्य ग्रन्थालय, राजस्थान विविध विद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर— कला संकाय—भूगोल, गृहसिद्धान्, स्त्रीत, मनोविज्ञान, वाणिज्य साहित्य, हिन्दी साहित्य, राजस्थानी, संस्कृत साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, लोकप्रसारन, समाजशास्त्र, उर्दू। विज्ञान संकाय— प्राणीशास्त्र, दृष्टिविज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान। वीदीए स्नातकोत्तर स्तर पर— एम.एम.—व्यावसायिक प्रशासन।	

- विविध विश्वविद्यालय एवं बीसीटीआईसे संबद्धता प्राप्त करने का वायित्त रूप संरथा का होगा।
- संस्था नाविद्यालय में जायपुर कार्य हेतु यूजीआई, अहंताधारी प्रावार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित नामांगण नुसार अर्थात् विविध स्टाफ को नियुक्ति के साथ-2 अन्य नियुक्ति शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार अन्य को वर्तमान इ भविष्य में इस हेतु कोई विस्तीर्य सहायता नहीं देंगी।
- संस्था एवं संगठन-2 द्वारा यूजीआई/शास्त्र सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा संज्ञान गैर सरकारी शिक्षा संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उल्लंघनों की निरन्तर अनुपालन सुनिश्चित की जावागी।
- संस्था का रथाई मान्यता इस शर्ते पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपराक्त शर्तों का कभी नीतिलंबन करने पर उनके विस्तृत कर्तव्याधी कर रथाई मान्यता को प्रत्याहारित (Withdraw) किया जा सकता है।
- इसका एवं प्रत्येक संघ में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- राज्य का द्वारा की अवधि में NAAC से नूल्योंकन करवाना अनिवार्य होगा।
- विविध विश्वविद्यालयों की सी.सी.आई. के नियमों को निरन्तर अनुपालन सुनिश्चित करनी होगी।
- संस्था इसी विविध विश्वविद्यालय/ नजदीकी राजकीय भावाविद्यालय/ विभाग की ठेकसाइट www.ece.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका रूप भावाविद्यालय विभागिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाधी भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- कृपया विविध विश्वविद्यालय की website जाकर आयुक्तालय की 15 दिवस में website address की सूचना दर्शाएँ।
- मानव संसाधन विकास नगारालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाना DCP-II (Data Capture Format) नरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य डागा। महाविद्यालय इसकी Hard copy अनामी 16 दिवस में अनुप्रक्तालय में प्रत्युत्त करें। इस डाटा को आधार यह नाम संसाधन विकास मंडल द्वारा निकालित थेप्टोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की आपनी सामान्य जन एवं छात्रों का लुप्तपत्र हो सकती।
- उपरोक्त सभी की पालना नहीं करने पर रथाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहारित कर दिया जायेगा।



- प्रतिदिव विविध विश्वविद्यालय का रुप एवं विविध विद्यालय का विविध विद्यालय का रुप है—
- विश्वविद्यालय का उच्च शिक्षा मंत्री नहादेव, राजस्थान, जयपुर।
 - निजी संचय, आदि ३० सुख्य संविध, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - जिला कर्मचारी जयपुर।
 - कुज संचय, जय नारायण चास विश्वविद्यालय, जयपुर।
 - संस्कृत विविध भावाविद्यालय।
 - सीडीएक्स विविध आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

१५८
संयुक्त-निदेशक (नि.स.)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर(राज.)



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (143)आकाशि / नि.सं. / 1973/

1164

दिनांक:-

18/4/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर नवीन विषय/ संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	नवीन संकाय व विषय
श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर।	ओकारमल सोमानी वाणिज्य महाविद्यालय, कमला नेहरू नगर, चौपासगी रोड, जोधपुर।	जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।	बीसीए।

- संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
- संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था संवर्धित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
- संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था गहाविद्यालय में अव्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशेषणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था संकाय व विषयगत सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के बैब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

- विशिष्ट संचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, शासन संचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी संचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, जोधपुर।
- कुल संचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- संघर्षित संस्था/महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

अमाई
संयुक्त निदेशक(नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर